राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3293/2025

छित्तर लाल कोली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, मुख्यालय, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, कोटा
5. निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, एस.डी.एम. विधान सभा सांगोद जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2025
आदेश की दिनांक : 14.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमृत कुआं, सांगोद, कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा बी.एल.ओ. के पद पर मतदान केन्द्र महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय उत्तरी कक्ष, सांगोद में लगाया गया था। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की आयु लगभग 56 वर्ष है एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र दिनांक 04.09.2020 एवं 07.09.2020 (अनुलग्नक–4) का हवाला देते हुए 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक को बी.एल.ओ. के पद पर नहीं लगाया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय द्वारायाचिका संख्या 12975/2025 तेन सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2025 के द्वारा न्यायालय ने आदेशित किया है कि यदि किसी याचिकाकर्त्ता द्वारा बीस दिन की अवधि के भीतर यह अभ्यावेदन दाखिल किया जाता है कि वह संबंधित स्कूल में एकल शिक्षक है, तो प्रत्यर्थी प्राधिकारी इस तथ्यों को सत्यापित करने के लिए बाध्य होगे और यदि यह सत्य पाया जाता है, तो ऐसे याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बीएलओ के कर्तव्यों से

मुक्त कर दिया जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7393/2025 राकेश बंसल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 (अनुलग्नक–8) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य